

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2023-पौष 1, शक 1945

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय धार, मध्यप्रदेश
धार वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना

धार, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

क्रमांक 433 नग्रानि/वि.यो./धार/2023 एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि धार वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र.23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है। धार वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 29 ग्राम निम्नानुसार हैं।

तहसील-धार जिला धार

- | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1. आथर | 2. मतलबपुरा | 3. आमखेडा | 4. मालीवाडा |
| 5. शाहपुरा | 6. खानपुरा | 7. रतनागरा | 8. मगजपुरा |
| 9. खाना कपुरी | 10. इस्लामपुरा | 11. नवगांव बुर्जुग | 12. जेतपुरा |
| 13. देलमी | 14. तोरनोद | 15. खिलचीपुरा | |
| 16. तिरला | 17. बगडिया | 18. पडल्या | 19. ज्ञानपुरा |
| 20. धरावरा | 21. हिम्मतगढ | 22. उत्तरसी | 23. उटावद |
| 24. सीतापट | 25. माफीपुरा | 26. मुसापुरा | 27. नियामतखेडी |
| 28. चिखल्या | 29. बगडीतुर्क | | |

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र की प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है:-

1. संभागायुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
 2. कलेक्टर, जिला धार।
 3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् धार।
 4. सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय (कलेक्टर परिसर) धार।
- यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय धार में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत करे।

सुनील जॉन मिंज, सहायक संचालक.